न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व वाद पत्र संख्या 104 / 2018

1. सुलेमान पुत्र हमीरूद्दीन
2. मासुम पुत्री हमीरूद्दीन
3. सुबराती पुत्री हमीरूद्दीन उर्फ अमीरद्दीन
4. श्रीमति नूरजहॉ पत्नि मुस्ताक उम्र बालिग
5. वसीम पुत्र श्री मुस्ताक
6. नसीम पुत्र मुस्ताक
7. सन्जीदा पुत्री मुस्ताक
8. मोहम्मद रफीक पुत्र श्री अहमद मुंशी उम्र बालिग
9. इकबाल पुत्र अहमद मुंशी उम्र बालिग
10. दिलशाद पुत्र अहमद मुंशी उम्र बालिग
11. गुलबदन पुत्री अहमद मुंशी उम्र बालिग
12. हमीदन पुत्री अहमद मुंशी उम्र बालिग
13. सहीदन पुत्री श्री अहमद मुंशी उम्र बालिग
14. समस्त जाति मुसला निवासीगण कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान संरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
2. रंगलाल पुत्र श्री हीरा उम्र बालिग
3. अम्बाशंकर पुत्र श्री हीरा उम्र बालिग
4. कमला पत्नि रामलाल उम्र बालिग
5. कालू पुत्र श्रीराम उम्र बालिग
6. सांवरा पुत्र श्री रामलाल उम्र बालिग
7. मैना पुत्री श्री रामलाल उम्र बालिग
8. समस्त जाति गूर्जर निवासीगण ग्राम कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थीण

वादपत्र अंतर्गत धारा 212 राज0टेनेन्सी एक्ट

उपस्थितः— श्री भंवरलाल शर्मा वकील— प्रार्थी
श्री रामाअवतार मीणा वकील— अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 6.12..2019

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद प्रस्तुत किया तथा उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। वादवर्णित आराजी ग्राम कादेड़ा तहसील केकड़ी मे स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

खसरा नंबर	रकबा	किस्म
2665	0.53 है0	चा01
2667	0.36 है0	चाही उत्तम

उक्त आराजी के खसरा नंबर 1577 है। यह आराजी प्रार्थी संख्या 1 के पिता अमीरद्धीन उर्फ हमीरूद्दीन पुत्र अब्दुला व अल्लाद्दीन पुत्र अब्दुला ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.03.1968 को खरीद की है तब से ही निरन्तर अल्लादीन व अमीरद्धीन उर्फ हमीरूद्दीन का कब्जा चला आ रहा था। केता की मृत्यु के पश्चात वारिसान प्रार्थीगण का हक व कब्जा चला रहा है श्री अलाद्दीन नाऔलाद फौत हो चुके है। श्री अमीरूद्दीन उर्फ हमीरूद्दीन के वारिसान प्रार्थीगण है। इस आराजी पर निरंतर 51 वर्षो से प्रार्थीगण व उनके पिता व दादा का हक व कब्जा चला आ रहा है। और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है और प्रार्थीगण निरंतर उक्त आराजी पर काश्त कर फसल प्राप्त करते आ रहे है। इस वर्ष प्रार्थीगण ने उक्त आराजी मे जवार की फसल काश्त की है किन्तु अप्रार्थीगण आराजी पर जबरन कब्जा करना चाह रहे है इस आशय से उन्होने प्रार्थीगण को दिनांक 22.09.19 को अप्रार्थीगण संख्या 2 से 7 ने प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दी कि वे उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करेगे। और प्रार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करेगे। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पाबंद किया जावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से श्री रामाअवतार मीणा वकील ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया जिसमे बताया गया कि प्रार्थीगण ने मिथ्या कथनों पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जबकि वास्तविकता यह है कि उपरोक्त आराजीयात पर शुरू से ही अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 के पूर्वजो का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 के पूर्वजों की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 का निरंतर बिना रोकटोक के कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं तथा वर्तमा जमाबंदी मे भी उपरोक्त आराजीयात अप्रार्थीगण 2 लगायत 7 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के पूर्वज व प्रार्थीगण का कब्जा वाद वर्णित आराजीयात पर कभी भी नही रहा है। तथा कभी भी उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा नही रहा है। क्योंकि ना तो अप्रार्थीगण 2 लगायत 7 के पूर्वजो ने कभी भी प्रार्थीगण या उनके पूर्वजो के विक्रय पत्र पंजीयन होना बताया तथा ना ही प्रार्थीगण या उनके पूर्वजो के पास उक्त कानूनी शुन्य और अवैध दस्तावेज लेकर आये है इस आराजीयात से प्रार्थीगण या किसी दीगर व्यक्ति को कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न ही हो सकता है। दिनांक 21.09.19 को प्रार्थीगण अपराधी आशय रखते हुए पूर्व नियोजित षड़यंत्र रचकर अप्रार्थीगण सख्या 2 लगायत 7 को वादवर्णित आराजीयात से जबरन बेदखल करने के लिए आये तब अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 प्रार्थीगण को बेदखल करने के लिए आये तब अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 ने प्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद माननीय न्यायालय मे अंतर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे पेश किया जो विचाराधीन है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पास प्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

के पास कोई युक्तियुक्त वादकारण नही है । फिर भी प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 को हैरान परेशान करने के लिए यह झूठा वाद पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

मैने पक्षकारान् के लायक अभिभाषकण की बहस सुनी प्रार्थी के लायक वकील न अपनी बहस प्रारंभ करत हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात दिनाक 18.03.68 को अप्रार्थीगण के पूर्वजो से प्रार्थीगण के पूर्वजो ने क्रय की थी जिसको भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भी दिनांक 07.06.85 को मुताबिक बेचान दस्तावेज व कब्जा काश्त अनुसार खसरा नंबर 2565,2666 केता के नाम स्वीकार किया गया था परन्तु वर्तमान जमाबदी मे अप्रार्थीगण के नाम होने से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न कर रहे है अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबद किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 2 से 7 उनके हाली सीरी,नौकर,चाकर एजेण्ट रिश्तेार आदि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करे। अप्रार्थीगण के लायक वकील का कथन है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है तथा रेकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के हकदार प्रार्थीगण नहीं है। जहॉ तक कथित विक्रय पत्र दिनांक 18.03.68 से प्रार्थीगण का हक अधिकार मूल वाद मे बाद शहादत तय हो सकेगा प्रार्थीगण अपना कब्जा होना भी किसी भी किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं कर पाये है। इस स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाा से पाबंद किये जाने बाबत् सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अप्रार्थीगण को भी पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात को अंतरण,बय,रहन नहीं करे। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार तय करने हेतु अंतिम निर्णायक नही है। हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद मे बाद शहादत तय होगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2019.12.19 17:15:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: